# राजस्थान सरकार
# नगरीय विकास विभाग

क्रमाकः प.18(31)नविवि/HFA–2022/2015 जयपुर दिनांक 28 JUN 2016

## अधिसूचना

केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकारों के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों (Mandatory Conditions) की पालना किये जाने का प्रावधान किया गया है। इन शर्तों में यह भी सम्मिलित है कि राज्य सरकार शहर के मास्टर प्लान में चिन्हित आवासीय जोन में आने वाली कृषि भूमि के मामले में अलग से गैर कृषि प्रयोजनार्थ अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करेंगी।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए के तहत अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपरोक्त शर्त (Mandatory Reform) की अनुपालना के संबंध में राजस्व विभाग से राय प्राप्त की गयी है। राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए में The Rajasthan Land Laws (Amendment) Act, 2014 से नवीन उपधारा 5ए जोड़ी गयी है, जिसके अनुसार –

(5A) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this section, the agricultural land may be used without permission for such non-agricultural purposes as may be prescribed by the State Government.

नगरीय क्षेत्रों में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 प्रचलित है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90–ए की उप धारा (5)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों के मास्टर प्लान/मास्टर डवलपमेंट प्लान में आवासीय भू–उपयोग क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 के तहत कृषि भूमि का आवासीय योजना विकसित करने हेतु राज्य सरकार एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है। ऐसे प्रकरणों में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के तहत नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर कृषिक आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा/आवंटन की आवश्यकता नही होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

28/6/16

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

Orders/Circulars